

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में

M/s Kvell Infrastructure LLP.,  
E-931, Lower Ground Floor, Chittranjan Park,  
South Delhi, Delhi-110019.

क्रमांक 105 /एम0बी0

दिनांक 13/09/2023

विषय:-

Request for issuance of Aravali NOC in respect of 36K-14M (4.5875 acres ) land falling in the revenue estate of village of Gwal Pahari, Sector-02, Gwal Pahari, District Gurugram for setting up a Group Housing colony under the provisions of License No. 75 of 2022 dated 15.06.2022.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, वजीराबाद व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

तहसीलदार, वजीराबाद ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 969/आर0सी0 दिनांक 18.08.2023 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि पटवारी हल्का से पत्र में वर्णित कीला नम्बरान मौजा ग्वाल पहाड़ी, तहसील वजीराबाद, जिला गुरुग्राम के राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट प्राप्त की गई जो बिन्दुवार निम्नप्रकार से है:-

1. पत्र में वर्णित अराजी भूमि कीला नं0 35//6(3-17), 7(7-18), 15/1(5-8), 16/1/2(1-17), 36//1/1(3-3), 10/2(4-16), 36//20/1(6-8), 17/2(3-13) किते 8 तादादी रकबा 36 कनाल 14 मरला ग्राम ग्वाल पहाड़ी तह0 वजीराबाद जिला गुरुग्राम दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी अराजी मुतनाजा की किस्म गैर मुमकिन पहाड, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड, बंजड बीहड या रुद्र नहीं रही है।
3. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात अराजी मुतनाजा की किस्म चाही रही है।
4. वर्णित प्रार्थना पत्र में दर्शायी गई अराजी मुतनाजा मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामलात देह/पंचायत देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. अनुसार राजस्व रिकार्ड मुतनाजा अराजी का किसी न्यायालय में केस बारे कोई भी इन्द्राज दर्ज नहीं है।
6. पत्र में वर्णित अराजी मुतनाजा SEZ (Special Economical Zone) में नहीं है।
7. पत्र में वर्णित खसरा नं0 पर धारा 4 व 6 व अवार्ड बारे राजस्व रिकार्ड में कोई भी इन्द्राज दर्ज नहीं है।
8. पत्र में वर्णित उपरोक्त अराजी भूमि रकबा 36 कनाल 14 मरला ग्राम ग्वाल पहाड़ी तह0 वजीराबाद जिला गुरुग्राम की मलकियत बरुवे जमाबन्दी साल 2018-19 की खेवट नं0 87-177-179 व ई0 नं0 3568 मन्जूरशुदा से M/s KVELL Infrastructure LLP Reg. Off. E-931, Lower Ground Floor, Chittranjan Park, New Delhi की है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 1030-G दिनांक 25.08.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनांक 09.08.2023 (M/s Kvell Infrastructure Llp) को गांव ग्वाल पहाड़ी, जिला गुरुग्राम के 4.5875 एकड़ एरिया की फारेस्ट क्लेरिफिकेशन ऑनलाईन जारी की जा चुकी है। जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant Jatin Arora, M/s Kvell Infrastructure Llp., having Rect. No./Murba No. 35//6(3-17), 7(7-18), 15/1(5-8), 16/1/2(1-11), 36//1/1(3-3), 10/2(4-16), 20/1(6-8), 11/2(3-13) Land



Measuring 4.5875 (Acre) Land Location Village Gwal Pahari, District Gurugram made a proposal to use this land for Setting Up A Group Housing Colony. It is made clear that:-

- A) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- B) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- C) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/ regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s Kvell Infrastructure Llp.**, whose land is located at **Village/City Gwal Pahari, District Gurugram** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- D) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- E) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- F) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

**It is subject to the following conditions:**

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To Above Mentioned Conditions and Distance of The Proposal Is Less 5 Km. Form Boundary of Delhi, Hence, The Permission Must Be Obtained From Competent Authority.

अतः तहसीलदार, वजीराबाद व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको Village Gwal Pahari, Tehsil Wazirabad, District Gurugram की उक्त भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी/कम्पनी को दी गई एनओसी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एनओसी स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी/कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वर्णित भूमि पर कोई भी परियोजना शुरू करने से पूर्व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट में दर्शाई गई शर्त अनुसार Competent Authority से अनुमति लेकर इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करे क्योंकि Distance of The Proposal Is Less 5 Km. Form Boundary of Delhi, Hence, The Permission Must Be Obtained From Competent Authority, अन्यथा सम्बन्धित किला नम्बरान की अरावली एनओसी स्वतः रद्द समझी जावेगी।

कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम